प्रेस नोट-दिनांक 10.09.2024

थाना सकलडीहा जनपद चंदौली

◆पुलिस अधीक्षक चंदौली, श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन में अपराध नियंत्रण पर थाना सकलडीहा पुलिस टीम की बड़ी कार्यवाही।

◆थाना सकलडीहा पुलिस टीम द्वारा बावरिया गिरोह 05 अभियुक्तों के विरूद्ध की गई गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही

◆आपराधिक कृत्यों से समाज में आम जनता के मध्य भय और आंतक का माहौल बनाने वाले अभियुक्तगण के विरुद्ध की गयी गैंगस्टर एक्ट की गयी कार्यवाही।

◆इन अपराधियों का एक सक्रिय संगठित गिरोह है, जो अपने आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु करता है चोरी जैसे अपराध कारित करते है।

चंदौली:- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने तथा अपराध में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु दिये गये निर्देश के अनुपालन में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर विनय कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी सकलडीहा रघुराज के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह कोतवाली सकलडीहा जनपद चन्दौली द्वारा बावरिया गिरोह के विरूद्ध की जा रही अभिसूचना संकलन की कार्यवाही के क्रम में, दिनांक 18.01.2024 को पुलिस मुठभेड़ में बावरिया गिरोह के गैंग लीडर व गैंग के सदस्यो को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार किया गया था। उक्त गिरोह के गैंग लीडर महेन्द्र पुत्र बुद्धा निवासी ग्राम बलरामपुर थाना निगोही जनपद शाहजहांपुर व गैंग के सदस्य 1.विजेन्द्र पुत्र गंगाराम निवासी मिलकिया थाना निगोही जनपद शाहजहांपुर 2.बाबू उर्फ काकू पुत्र रघुवर उर्फ अमरपाल निवासी मिलकिया थाना निगोही जनपद शाहजहांपुर 3.लालू पुत्र बुद्धपाल निवासी मिलकिया थाना निगोही जनपद शाहजहांपुर 4.संजय पुत्र बल्लू उर्फ भल्लू निवासी बलरामपुर थाना निगोही जनपद शाहजहांपुर के विरुद्ध मु0अ0स0-147/2024 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधि0 1986 पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गैंग लीडर-

महेन्द्र पुत्र बुद्धा निवासी ग्राम बलरामपुर थाना निगोही जनपद शाहजहांपुर उम्र 30 वर्ष

गैंग का सदस्य-

1.विजेन्द्र पुत्र गंगाराम निवासी मिलकिया थाना निगोही जनपद शाहजहांपुर उम्र करीब 27 वर्ष

2.बाबू उर्फ काकू पुत्र रघुवर उर्फ अमरपाल निवासी मिलकिया थाना निगोही जनपद शाहजहांपुर उम्र करीब 20 वर्ष 3.लालू पुत्र बुद्धपाल निवासी मिलकिया थाना निगोही जनपद शाहजहांपुर उम्र करीब 26 वर्ष
4.संजय पुत्र बल्लू उर्फ भल्लू निवासी बलरामपुर थाना निगोही जनपद शाहजहांपुर उम्र करीब 21 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0स0-147/2024 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधि0 1986 थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली

गैंग लीडर व गैंग के सदस्यो का पुर्व अपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0-14/2024 धारा 307/401/411/413/414 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली

2.मु0अ0सं0-175/2023 धारा 457/380 भादवि थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली

3.मु0अ0सं0-101/21 धारा 457/380/336/511 भादवि थाना तरवा जनपद आजमगढ़

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम –

थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह कोतवाली सकलडीहा जनपद चन्दौली

हे0का0 सत्येन्द्र कुमार सिंह कोतवाली सकलडीहा जनपद चन्दौली

का0 गौरव पटेल कोतवाली सकलडीहा जनपद चन्दौली

प्रेस नोट दिनांक-10.09.2024
थाना धीना जनपद चंदौली

थाना धीना पुलिस टीम द्वारा 10000 रुपयें का पुरस्कार घोषित गैगेस्टर एक्ट का वाछिंत अभियुक्त किया गया गिरफ्तार

चंदौली:- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे के द्वारा वांछित/फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी व अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर विनय कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी सकलडीहा रघुराज के कुशल पर्यवेक्षण में थाना धीना के मु0अ0सं0 68/2024 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि0 1986 के वांछित/इनामिया अभियुक्त 1.आलोक यादव पुत्र रामकृत यादव नि0 परानापुर थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा 10000/- रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक धीना रमेश यादव मय पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में मामूर थे, कि जरिये मुखबीर सूचना मिली की वांछित/इनामिया अभियुक्त आलोक यादव उपरोक्त अपने वकील से मिलने हेतु कचहरी चन्दौली आया है उक्त सूचना पर धीना पुलिस टीम द्वारा बताये गये स्थान पर पहुँचकर एक बारगी दबिश देकर समय करीब 09.05 बजे अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।गिरफ्तारी के आधार पर आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

नाम पता अभियुक्त –
आलोक यादव पुत्र रामकृत यादव नि0 परानापुर थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी

आपराधिक इतिहास-
1.मु0अ0सं0 68/2024 धारा 3(1) उ0प्र0 गैगेस्टर एक्ट थाना धीना जनपद चन्दौली
2.मु0अ0सं0 126/23 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 थाना धीना जनपद चन्दौली

गिरफ्तारी बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-
1.प्र0नि0 रमेश यादव थाना धीना जनपद चन्दौली
2.उ0नि0 ताराचन्द्र सिंह थाना धीना जनपद चन्दौली
3.उ0नि0 अमरेश मिश्रा थाना धीना जनपद चन्दौली
4.का0 शंकर कुमार थाना धीना जनपद चन्दौली
5.म0का0 आरती सरोज थाना धीना जनपद चन्दौली
6.का0 चा0 अंकित वर्मा थाना धीना जनपद चन्दौली

प्रेस नोट दिनांक-10.09.2024
(ऑपरेशन कन्विक्शन)

◆श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को दिलाई जा रही सजा

◆ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुश्री माधुरी यादव (न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को न्यायालय उठनें तक की सजा व 1000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

थाना अलीनगर के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 19.02.1995 को धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.ताहिर पुत्र उस्मान निवासी राया थाना राया जिला मथुरा के विरुद्ध अपराध संख्या- 62/1995 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना अलीनगर में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व श्री विपिन कुमार (एपीओ) व थाना अलीनगर के पैरोकार मुख्य आरक्षी राकेश सिंह की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-10.09.2024 को पीठासीन अधिकारी सुश्री माधुरी यादव (न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी अभियुक्त 1.ताहिर पुत्र उस्मान निवासी राया थाना राया जिला मथुरा को न्यायालय उठनें तक की सजा व 1000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

प्रेस नोट दिनांक-10.09.2024
(ऑपरेशन कन्विक्शन)

◆श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को दिलाई जा रही सजा

◆ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुश्री माधुरी यादव (न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी 06 अभियुक्तों को न्यायालय उठनें तक की सजा व 1000-1000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

थाना सैयदराजा के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 08.03.1992 को धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.मो0 शमीद 2.असलम 3.सलीम 4.हासीम 5. कुतुब्दीन 6.जुब्बार कुरैशी के विरुद्ध अपराध संख्या- 39/1992 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना सैयदराजा में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व श्री विपिन कुमार (एपीओ) व थाना सैयदराजा के पैरोकार आरक्षी राजीव प्रजापति की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-10.09.2024 को पीठासीन अधिकारी सुश्री माधुरी यादव (न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी अभियुक्तों 1.मो0 शमीद 2.असलम 3.सलीम 4.हासीम 5. कुतुब्दीन 6.जुब्बार कुरैशी प्रत्येक को न्यायालय उठनें तक की सजा व 1000-1000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

प्रेस नोट दिनांक-10.09.2024
(ऑपरेशन कन्विक्शन)

◆श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को दिलाई जा रही सजा

◆ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुश्री माधुरी यादव (न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को न्यायालय उठनें तक की सजा व 1000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

थाना सकलडीहा के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 01.03.2002 को धारा 323,504 भादवि के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.रमवन्ती पत्नी लक्की राजभर निवासी अमावल सकलडीहा के विरुद्ध अपराध संख्या- 19/2002 धारा 323,504 भादवि थाना सकलडीहा में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व श्री विपिन कुमार (एपीओ) व थाना सकलडीहा के पैरोकार मुख्य आरक्षी उमेश कुमार की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-10.09.2024 को पीठासीन अधिकारी सुश्री माधुरी यादव (न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी अभियुक्त 1.रमवन्ती पत्नी लक्की राजभर निवासी अमावल सकलडीहा को न्यायालय उठनें तक की सजा व 1000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

प्रेस नोट दिनांक-10.09.2024
थाना इलिया जनपद चंदौली

◆थाना इलिया पुलिस द्वारा एक शराब तस्कर को 40 पाउच देशी टिवन टाँवर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

चंदौली:-पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे द्वारा शराब/अवैध गोतस्करों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु दिये गये आदेश/निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन अनिल कुमार यादव व क्षेत्राधिकारी चकिया के कुशल पर्यवेक्षण में हरिशचन्द्र सरोज प्रभारी निरीक्षक थाना इलिया के कुशल नेतृत्व में थाना इलिया पुलिस टीम को उस समय सफलता मिली जब एक व्यक्ति द्वारा 40 पाउच देशी टिवन टाँवर देशी शराब मात्रा प्रत्येक 200 ML को अवैध तरीके से बिहार राज्य ले जाया जा रहा था कि मदरसा तिराहा के पास बहद ग्राम कस्बा इलिया से पकड़ा गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 95/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

नाम पता अभियुक्त-
1.सुजीत कुमार पुत्र खिचडू चौहान निवासी ग्राम चैनपुर थाना चैनपुर जनपद कैमूर भभुआ बिहार उम्र करीब 19 वर्ष।

विवरण बरामदगी-
40 पाऊच देशी टिवन टाँवर देशी शराब मात्रा प्रत्येक 200 ML

गिरफ्तारी व बरामदगी की पुलिस टीम-
1.प्रभारी निरीक्षक हरिशचन्द्र सरोज थाना इलिया जनपद चन्दौली
2.उ0नि0 भोला सिंह इलिया थाना इलिया जनपद चन्दौली।
3.हे0का0 कल्लन यादव थाना इलिया जनपद चन्दौली।

प्रेस नोट दिनांक- 10.09.2024

जनपद चन्दौली

◆ कानून व्यवस्था को मजबूत करने के साथ ही खाकी कर रही रिश्तों को भी मजबूत।

◆ छोटी मोटी बातों व गलतफहमियों के कारण अलग हुए दम्पत्तियों को चन्दौली पुलिस द्वारा लगातार समझा-बुझाकर कराया जा रहा एक।

◆ महिला थाना/परिवार परामर्श केन्द्र के अथक प्रयास से आज 06 बिछड़े दम्पत्ति पुनः एक साथ रहने को हुए राजी।

चंदौली:- पुलिस अधीक्षक चन्दौली आदित्य लांग्हे के निर्देशानुसार महिला थाना/परिवार परामर्श केन्द्र द्वारा बिछड़े दम्पतियों को मिलाकर एक परिवार के बीच पुनः खुशियां लौटाने का लगातार सार्थक प्रयास किया किया जा रहा है। दिनांक 10.09.2024 को ऐसे ही 06 परिवार से पति व परिजनों के विरुद्ध पारिवारिक विवाद के सम्बन्ध में दिये गये प्रार्थना पत्रों पर दोनों पक्षों को जरिये नोटिस/मोबाइल द्वारा सूचित कर महिला थाना/परिवार परामर्श केन्द्र पर बुलाकर पारिवारिक मूल्यों एंव महत्व को बताते हुए अथक प्रयास से समझाया बुझाया गया। दोनों पक्ष आपसी सहमति एवं बिना किसी जोर दबाव के अपनी बीती हुई बातों/गलतियों को स्वीकार कर नये सिरे से पुनः पति/पत्नी की तरह एक दूसरे का सम्मान करते हुये रहने को तैयार हुये। महिला थाना/परिवार परामर्श केन्द्र से दम्पति के बीच पारिवारिक विवाद को समाप्त कराते हुये टूटते हुये रिश्ते को बचाते हुये पति/पत्नी को परिजनों के साथ राजी खुशी भेजा गया।

प्रेस नोट-दिनांकः 10.09.2024
यातायात पुलिस चंदौली

◆यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम ने चलाया विशेष वाहन चेकिंग अभियान के दौरान आज दिनांक 10.09.2024 को कुल 106 वाहनों का चालान करते हुए 1,04,000/- ₹ का जुर्माना अधिरोपित किया।

◆यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम चन्दौली द्वारा वाराणसी से बिना परमिट व बिना फिटनेस पर आ रहे ऑटो का भी किया जा रहा चालान

◆यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम द्वारा लगातार बिना साइलेंसर या मोडिफाइड साइलेंसर, बिना हेलमेट, बिना शीटबेल्ट, तीन सवारी व यातायात नियमों के उल्ल्घन करने वालो पर लगातार कार्रवाई जारी

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चंदौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी यातायात रघुराज के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक यातायात सुरेन्द्र यादव मय यातायात टीम व जनपदीय थाना पुलिस टीम द्वारा दिनांक 10.09.2024 जनपद में वाहन चेकिंग अभियान के दौरान बिना साइलेंसर या मोडिफाइड साइलेंसर, बिना हेलमेट, बिना शीटबेल्ट, तीन सवारी व यातायात नियमों का उल्ल्घन करने वाले, नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने तथा मानक के अनुरूप नम्बर प्लेट न लगाये जाने पर कुल 106 वाहनों का चालान करते हुए 1,04,000/- ₹ का जुर्माना अधिरोपित किया गया। इसी प्रकार प्रमुख चौराहों पर यातायात अपराधों के विरूद्ध विशेष सघन चेकिंग अभियान चलाकर यातायात नियमों के पालन के लिये जागरुक किया गया।
सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय चंदौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी यातायात ,रघुराज के निकट पर्यवेक्षण तथा यातायात प्रभारी सुरेन्द्र यादव व सभी यातायात अधि0/कर्मचारीगण के द्वारा बढ़ती हुयी सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में जनपद के प्रमुख चौराहों तिराहों व सार्वजनिक मार्गो, पर लगातार भ्रमणशील रहकर यातायात पुलिस चंदौली द्वारा यातायात नियमों के पालन के लिये सड़क सुरक्षा जागरुकता कार्यक्रम के तहत रोड़ पर लोगो को जागरुक किया गया । साथ ही साथ आमजन व वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए यातायात नियमों के पालन करने हेतु जैसे- नशे की हालत में वाहन न चलाने, निर्धारित मानक से अधिक सवारी न बैठाने वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने अवयस्क को वाहन न चलाने देने सीट बेल्ट का प्रयोग करने दो पहिया वाहनों पर हेलमेट का प्रयोग करने वाहनों को ओवर लोड न चलाने आदि के संबन्ध में जागरूक किया गया व सभी को अवगत कराया गया कि "सीटबेल्ट" का प्रयोग व दो पहिया वाहन चलाते समय "हेलमेट" का प्रयोग अवश्य करें ।

इसी क्रम में यातायात पुलिस द्वारा कार्रवाई के दौरान निम्नलिखित यातायात के नियमों के उल्ल्घन करने पर चालान की कार्रवाई की गयी है-

क्रम संख्या   यातायात नियम उल्ल्घन का प्रकार   चालान की संख्या

1 मोटरसाइकिल पर तीन सवारी-05

2 बिना इंश्योरेन्स के वाहन चलाना-03

3. बिना हेलमेट-49

4. नो पार्किंग-33

5. गलत दिशा में वाहन चलाना-07

6. गलत नंबर प्लेट- 02

7. बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना - 03

8. खतरनाक ढंग से बाइक चलाना- 02

9. अन्य- 02

यातायात नियमों के उलंघन में आज दिनांक 10.09.2024 को की गयी कार्यवाही का विवरणः-

(1)संपूर्ण चालानः-106

(2)संपूर्ण कारित राजस्वः-1,04,000/- रूपयें।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 10.09.2024
थाना साइबर क्राइम,चन्दौली

थाना साइबर क्राइम टीम द्वारा आवेदक से हुए धोखाधड़ी की धनराशि रु0 55989/- रुपये वापस कराया गया

पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशानुसार जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह के मार्गदर्शन में एंव पुलिस उपाधीक्षक आशुतोष के कुशल पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष साइबर क्राइम वीरेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में साइबर क्राइम टीम द्वारा साइबर क्राइम के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद चन्दौली के साइबर क्राइम थाना द्वारा की गयी त्वरित कार्यवाही के चलते आवेदक अशफाक अहमद पुत्र तैयब अली निवासी कठौडी थाना अलीनगर जनपद चन्दौली का फ्राड तरीके से 55989/- रुपये का मोबाइल पर लिंक भेजकर मोबाइल हैक कर क्रेडिट कार्ड के माध्य से जियोमार्ट के द्वारा खरीदारी कि गयी थी। जिसके सम्बन्ध में आवेदक अशफाक अहमद उपरोक्त द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया गया। इसी क्रम में थाना साइबर क्राइम जनपद चन्दौली द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए आवेदक के खाते से निकाली गयी धनराशि 55989/- रुपये को आवेदक के क्रेडिट कार्ड/खातें में वापस करायी गयी। आवेदक अशफाक अहमद उपरोक्त द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय चन्दौली, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय, पुलिस उपाधीक्षक साइबर क्राइम एंव साइबर थानाध्यक्ष एवं साइबर क्राइम टीम जनपद चन्दौली का आभार व्यक्त किया।

नाम पता आवेदक -
अशफाक अहमद पुत्र तैयब अली निवासी कठौडी थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

विवरण बरामदगी व फ्राड का दिनांक
फ्राड का दिनांक-26.05.2024 बरामदगी का दिनांक- 10.09.2024

वापस करायी गयी धनराशि रुपया – 55989/-

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम --
उ0 नि0 श्री वीरेन्द्र कुमार (थानाध्यक्ष साइबर क्राइम)
हे0का0 पवन कुमार यादव
हे0का0 सुनील कुमार मिश्रा
का0 सन्तोष कुमार यादव
का0 मनोज चौहान

प्रेस नोट दिनांक-10.09.2024
(ऑपरेशन कन्विक्शन)

◆श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को दिलाई जा रही सजा

◆ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुश्री नुतन (सिविल जज (जू0डि0)/एफटीसी-प्रथम जनपद) द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 1600 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी

थाना बलुआ के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 04.06.2004 को धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.विनोद सिंह पुत्र सहदेव सिंह निवासी सवनिन्दपुर थाना बलुआ जनपद चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 59/2004 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना बलुआ में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व श्री विजय कुमार पाण्डेय (एपीओ) व थाना बलुआ के पैरोकार आरक्षी अखिलेश कुमार यादव की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-10.09.24 को पीठासीन अधिकारी सुश्री नुतन(सिविल जज (जू0डि0)/एफटीसी-प्रथम जनपद चन्दौली द्वारा दोषी अभियुक्त 1.विनोद सिंह पुत्र सहदेव सिंह निवासी सवनिन्दपुर थाना बलुआ जनपद चन्दौली को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 1600 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी

प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 10.09.2024
जनपद चन्दौली

◈ पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में समस्त थाना प्रभारी/थानाध्यक्ष/ हल्का प्रभारी द्वारा चलाया गया ऑपरेशन वेरिफिकेशन

◈ जनपद के टॉप 10, थानों के टॉप 10 व चिन्हित माफिया का किया गया सत्यापन

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन में जनपद में अपराध/अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु
जनपद के समस्त थाना प्रभारी/थानाध्यक्ष/ हल्का प्रभारी द्वारा चलाया गया ऑपरेशन वेरिफिकेशन अभियान। उपरोक्त अभियान के तहत जनपद के टॉप 10 अपराधियों, थाना स्तर के टॉप 10 अपराधियों व चिन्हित माफियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु उनके वर्तमान स्थिति का सत्यापन किया गया। सभी अपराधियों को चन्दौली पुलिस द्वारा कडें शब्दों में चेतावनी दी गई कि चन्दौली पुलिस की पूर्ण निगरानी उन पर बनी हुई है यदि किसी प्रकार की अपराध में उनकी संलिप्तता पायी जाती है तो सख्त कार्यवाही की जायेगी।

इसी क्रम में थाना चन्दौली में-04,थाना सैयदराजा-05,थाना कन्दवा-03, थाना मुगलसराय-02, थाना अलीनगर-10,थाना सकलडीहा-09,थाना बलुआ-08, थाना धानापुर-06,थाना धीना-08,थाना चकिया-05,थाना शहाबगंज -03,थाना इलिया-04 द्वारा थाना स्तर पर टाप 10, चिन्हित अपराधियों व माफियों की वर्तमान स्थिति का सत्यापन किया गया।

प्रेस नोट दिनांक- 10.09.2024
जनपद चन्दौली

◆ जनपदीय पुलिस द्वारा शराब की दुकानों के आस पास व सार्वजनिक स्थानों पर नशेबाजी करने वालों को खिलाफ चेकिंग व कार्रवाई अभियान

◆ जनपदीय पुलिस द्वारा कुल 52 शराबियों के विरूद्ध की गई कार्रवाई।

चन्दौली:- सड़क, कार, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना या शराब पीकर गाड़ी चलाना दंडनीय अपराध है, ऐसा करना आपके लिए और दूसरे के लिये खतरनाक साबित हो सकता है। यह जरूरी बातें सभी जानते हैं लेकिन जो नहीं मानते उनके लिये जनपद चन्दौली पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाकर उनके विरूद्ध कार्रवाई की गई।

चन्दौली में सार्वजनिक स्थानों पर खुले में शराब पीने, रंगबाजी, जुआ खेलने, स्टंट दिखाने, छेड़खानी करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई जारी है। अभियान में शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की गई। एक बार से अधिक पकड़े जाने पर डिफॉल्टर्स का लाइसेंस भी निरस्त करवाने की कार्रवाई की जा रही है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में संवेदनशील जगह चिह्नित कर पुलिस ने उपरोक्त प्रकार के व्यक्ति पर कार्यवाही की गई।

चन्दौली पुलिस ऐसे लोगों के विरुद्ध मात्र कार्यवाही ही नहीं कर रही बल्कि ऐसे सभी लोगों को मादक पदार्थों /शराब के सेवन से होने वाले आर्थिक व शारीरिक हानि के साथ ही सामाजिक प्रतिष्ठा व परिवार के सदस्यों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के सम्बन्ध में जागरूक किया जा रहा तथा आगे से मादक पदार्थों का सेवन न करने हेतु प्रेरित भी किया जा रहा है।
पुलिस अधीक्षक चन्दौली आदित्य लांग्हे ने बताया कि जनपद के समस्त अधिकारी व थाना प्रभारीगण को सघन चेकिंग अभियान लगातार चलाते हुए कार्यवाही किये जाने के साथ ही लोगों को जागरूक किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं। यह अभियान निरन्तर पूरे जनपद में चलाया जाता रहेगा।

इसी क्रम में 10.09.2024 को समस्त थानों द्वारा धारा 292 BNS व पुलिस एक्ट की धारा 34 के तहत कुल 52 शराबियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी।